

IRS



News Release

मीडिया सम्बन्ध कार्यालय

वाशिंगटन, डी.सी.

मीडिया सम्पर्क: 202.622.4000

www.IRS.gov/newsroom

लोक सम्पर्क: 800.829.1040

स्वैच्छिक खुलासे की दूसरी विशेष पहल शुरू; दूसरे देश में सम्पत्तियां छुपा कर रखने वालों के लिए समय सीमा की अंतिम तिथि, अगस्त 31

IR-2011-14, फरवरी 8, 2011

वाशिंगटन – इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने आज दूसरे देशों में रखे गये धन को वापस अमेरिकी टैक्स प्रणाली में लाने और छुपाये हुए विदेशी खातों से अघोषित आय प्राप्त करने वाले लोगों को अपने टैक्सों को अद्यतन करने में मदद करने के लिए तैयार की गयी स्वैच्छिक खुलासे की विशेष पहल की घोषणा की। स्वैच्छिक रूप से जानकारी देने की यह नयी पहल अगस्त 31, 2011 तक उपलब्ध होगी।

IRS आयुक्त Doug Shulman ने कहा, “जैसे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बड़ी संख्या में और अधिक जानकारी एकत्रित करना तथा और अधिक लोगों की खोजबीन करना जारी रखे हुए हैं, वैसे वैसे लोगों को सम्पत्तियों को दूसरे देशों में छुपाने का जोखिम बढ़ रहा है।” “यह नया प्रयास विदेशी खातों में धन छुपाने वाले उन लोगों को हमेशा के लिए एक बार अपनी टैक्स सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने का एक मज़बूत व निष्पक्ष तरीका प्रदान करता है। और यह लोगों को, इससे पहले कि हम उन्हें ढूँढें, इसका पात्र बनने का मौका देता है।”

IRS ने स्वैच्छिक खुलासे की दूसरी विशेष पहल शुरू करने का यह निर्णय विदेशी खातों वाले करदाताओं द्वारा दर्शायी जा रही निरंतर रुचि को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्वैच्छिक तौर पर जानकारी देने का पहला विशेष कार्यक्रम 15,000 स्वैच्छिक खुलासों के साथ अक्टूबर 15, 2009 को बंद हुआ था। तब से, 3,000 से भी अधिक करदाता दुनिया भर से अपने बैंक खातों के साथ IRS के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। ये करदाता भी इस नयी पहल के विशेष प्रावधानों का फायदा उठाने के अधिकारी होंगे।

Shulman ने कहा, “जैसा मैंने अभी कहा है, हमारा ध्येय लोगों को वापस अमेरिकी टैक्स प्रणाली के अन्दर लाना है।” “अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी से लड़ना IRS के लिए शीर्ष प्राथमिकता है। हम अतिरिक्त मामलों और बैंकों की भी समीक्षा कर रहे हैं। आगे आने वाले महीनों में विदेशों में अपनी सम्पत्ति और आय को छुपाने वाले लोगों के लिए स्थिति सिर्फ बदतर ही होगी। खुलासे की यह नयी पहल लोगों को व्यवस्था के अन्दर वापस आने के लिए आखिरी, व सबसे अच्छा मौका है।”

आज घोषित की गयी नयी पहल – जिसे 2011 ओफशोर वॉलंटरी डिसक्लोजर इनिशेटिव (OVDI) नाम दिया गया है – में 2009 ओफशोर वॉलंटरी डिसक्लोजर प्रोग्राम (OVDP) की तुलना में कई बदलाव शामिल किये गये हैं। 2011 के लिए कुल मिला कर जुर्माने का ढाँचा पहले की तुलना में अधिक ऊँचा है, अर्थात् उन लोगों को जो 2009 के स्वैच्छिक खुलासे के कार्यक्रम में आगे नहीं आये, इंतजार करने के लिए पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। हालांकि, 2011 की पहल में निश्चय ही नयी विशेषतायें जुड़ी हैं।

2011 की पहल के लिए, जुर्माने का एक नया ढाँचा है जिसके अनुसार व्यक्तियों को 2003 से 2010 तक की समय अवधि को शामिल करते हुए साल में विदेशी बैंक खातों में मौजूद अधिकतम कुल राशि का 25 प्रतिशत अदा करना आवश्यक है। कुछ करदाता 5 या 12.5 प्रतिशत जुर्माना राशियों के लिए योग्य होंगे। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को पिछले-टैक्स और आठ वर्षों तक का ब्याज तथा साथ ही साथ सटीकता-सम्बन्धी और/या अपराध सम्बन्धी जुर्मानों का भुगतान भी करना चाहिये।

नयी पहल में भाग लेने वाले करदाताओं को सभी मूल और संशोधित टैक्स विवरणियां (रिटर्न) अगस्त 31 की समय-सीमा तक दायर कर देनी चाहियें और उनमें टैक्स, ब्याज तथा सटीकता-सम्बन्धी जुर्माने शामिल होने चाहियें।

2011 की जानकारी सामने लाने की पहल में IRS दूसरे संशोधन भी कर रहा है।

प्रतिभागियों को 25 प्रतिशत दंड की राशि अदा करनी है, लेकिन कुछ सीमित स्थितियों में करदाता 5 प्रतिशत जुर्माने के योग्य हो सकते हैं।

IRS ने अपेक्षतया छोटे विदेशी खातों के लिए 12.5 प्रतिशत जुर्माने की एक नयी श्रेणी भी बनायी है। 2011 की इस पहल में शामिल ऐसे लोग जिनके विदेशी खातों या सम्पत्तियों की राशि किसी भी कलेंडर वर्ष में \$75,000 से अधिक नहीं थी, उन पर जुर्माने की यह कम दर लागू होगी।

2011 की पहल की कार्यवाही करदाताओं को IRS के द्वारा उनका पता लगाये जाने के जोखिम के बजाय अब स्वयं सामने आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्पष्ट लाभ प्रदान करती है। विदेशों में सम्पत्तियां छुपाने वाले करदाता जो खुद सामने नहीं आयेंगे उन पर कहीं अधिक जुर्माना लगा जायेगा और साथ ही आपराधिक मुकदमा चलाये जाने की सम्भावना भी होगी।

Shulman ने कहा, “विदेशी खाते रखने वाले ऐसे लोगों के लिए जो राष्ट्र के करदाताओं के साथ अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक उचित प्रस्ताव है”। “यह पहल उन लोगों को इस बारे में निश्चितता का अवसर प्रदान करती है कि उनके मामले को किस तरह संभाला जायेगा। बिल्कुल उतने ही महत्वपूर्ण रूप से, ईमानदारी के साथ स्वेच्छा से सामने आने वाले लोग आपराधिक मुकदमा चलाये जाने से भी बच सकते हैं”।

IRS आवेदनों को और अधिक दक्षता के साथ निपटान करने के लिए स्वेच्छिक खुलासों की प्रोसेसिंग केन्द्रीकृत इकाईयों में कर रहा है।

IRS करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स की मदद के लिए www.IRS.gov वेबसाइट पर एक नया खंड भी शुरू करेगा जिसमें 2011 ओफशोर वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनिशेटिव विषय पर सभी शर्तों व विचारार्थ सीमाओं को शामिल किया जायेगा, इसमें प्रश्नों और उनके उत्तरों का एक विस्तृत सेट भी शामिल होगा। इस वेबसाइट पर इस विषय पर भी विवरण दिया गया है कि लोग स्वेच्छिक खुलासा किस प्रकार कर सकते हैं।

2009 में पहले स्वेच्छिक खुलासा कार्यक्रम में, करदाताओं ने छह-वर्ष तक की समयावधि को शामिल करते हुए 20 प्रतिशत तक के जुर्माने का सामना किया। उस प्रयास में करदाता 60 से भी अधिक देशों के बैंकों को शामिल करते हुए लगभग 15,000 स्वेच्छिक खुलासों के साथ आगे आये।

Shulman ने कहा कि समय गुजरने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर IRS के प्रयास सिर्फ बढ़ेंगे ही।

Shulman ने कहा, “टैक्स की गोपनीयता धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है”। “हम अंतर्राष्ट्रीय टैक्स के मुद्दों पर ढिलाई नहीं बरत रहे हैं, तथा इस पर और अधिक काम चल रहा है। विदेशों में नकद राशि या सम्पत्तियों को छुपाने वाले लोगों के लिए स्वयं सामने आने का अभी समय है। पकड़े जाने का जोखिम सिर्फ बढ़ेगा ही”।